रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102022-239568 CG-DL-E-11102022-239568

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4611] No. 4611] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 11, 2022/आश्विन 19, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2022/ASVINA 19, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4821(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1433(अ), तारीख 22 मार्च 2022, भारत के राजपत्र सं. 1391 तारीख 29 मार्च 2022, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में "कांडला- गोरखपुर एल.पी.जी पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील उज्जैन, घटिया जिला उज्जैन राज्य मध्यप्रदेश में एल.पी.जी के परिवहन हेतु आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना संबिन्धित भू-स्वामियों को तारीख **04** मई **2022** तक उपलब्ध करा दी गई थी और डॉ. राम प्रकाश तिवारी, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा **6** की उपधारा **(1)** के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है:

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए:

6871 GI/2022 (1)

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. लिमिटेड में निहित होगी:

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से संबन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

जिला : उज्जैन		राज्य : मध्य प्रदेश				
	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल			
तहसील			हेक्टेयर	आरे०	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
उज्जैन	किठोदाराव	275	00	00	86	
	मोरूखेडी	270	00	06	67	
		271	00	02	11	
		274	00	11	84	
		311	00	01	00	
		308	00	10	14	
घटिया	नजरपुर	689	00	10	85	

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओआर-I/ई-33881]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2022

S.O. 4821(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1433(E) Dated 22th March 2022 published in the Gazette of the India Gazette No. 1391 Dated 29th March 2022 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying "Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline Project" for the transportation of LPG in Tehsil Ujjain, Ghatiya District Ujjain In the state of Madhya Pradesh by IHB Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 04 May 2022 And whereas Dr. Ram Prakash Tiwari, the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the LPG pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration in IHB Limited, free from all encumbrances.

IHB Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

District : Ujjain		State : Madhya Pradesh				
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area			
Name of Tensii			Hectare	Are	Square Meter	
1	2	3	4	5	6	
Ujjain	Kithodarao	275	00	00	86	
	Morukhedi	270	00	06	67	
		271	00	02	11	
		274	00	11	84	
		311	00	01	00	
		308	00	10	14	
Ghatiya	Nazarpur	689	00	10	85	

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.